

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक एफ.39-7(1)(सेअ)/आरए/2014/1581

दिनांक 07.04.2016

: आदेश :

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक 2(204)राज-3/15 दिनांक 16.12.2015 से ग्राम राजगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 763 रकबा 2.15 हैक्टर, आ0न0 874 रकबा 45.77 हैक्टर, आ0न0 875 रकबा 5.59 हैक्टर, आ0न0 912 रकबा 15.85 हैक्टर कुल कीता 4 कुल रकबा 69.36 हैक्टर वन विभाग हेतु वन भूमि लैण्ड बैंक हेतु आरक्षित की गई थी। इसमें से चम्बल परियोजना के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु जिला बून्दी की 0.8136 हैक्टर, जिला चित्तौड़गढ़ की 1.6677 हैक्टर, जिला भीलवाड़ा की 2.1898 हैक्टर कुल 4.6711 हैक्टर वन भूमि के बदले ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की वन विभाग हेतु उक्त आरक्षित आराजीयात में से आराजी नं0 874 के शेष रकबा 43.8376 हैक्टर में से आवंटन किया जाना है।

अतः ग्राम राजपुरा तहसील आसीन्द की आरक्षित वन भूमि आराजी नम्बर 874 रकबा 43.8376 हैक्टर में से 4.6711 हैक्टर भूमि वन विभाग को आवंटन किया जाता है।



(डा० टीनाकुमार)  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द
- 2-उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
- 3-तहसीलदार, आसीन्द
- 4-पटवारी हल्का तिलोली
- 5-रक्षित पत्रावली

— 28 —  
अति० जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा